BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
AT DELHI PRINCIPAL BENCH
ORIGINAL APPLICATION NO. 1193/2024

IN THE MATTER OF:

NEWS ITEM TITLED "ILLEGAL MINERS ATTEMPT TO RUN OVER TRAINEE IAS OFFICER AT U.P.-UTTARAKHAND BORDER" APPEARING IN THE HINDUSTAN TIMES DATED 26.09.2024

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Reply/Response of Uttar Pradesh Pollution Control Board in compliance with the order dated 27.09.2024 passed by this Hon'ble Tribunal.	1-4
2.	The copy of Report dated 11-11-2024 is annexed herewith as **Annexure No. 1.**	5-17
3	Copy of letter dated 03-12-2024 of Mining Officer, Moradabad is annexed as **Annexure No.-2.**	18-22

THROUGH

B.P. SINGH
…………………..
Advocate

Date:
20.01.2025

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
AT DELHI PRINCIPAL BENCH
ORIGINAL APPLICATION NO. 1193/2024

NOTARIAL NOTARIAL

Notary Public Shiv Kumar Guatam Notary/Advocate Reg. No. 9493 Moradabad Govt. of India

IN THE MATTER OF:

NEWS ITEM TITLED "ILLEGAL MINERS ATTEMPT TO RUN OVER TRAINEE IAS OFFICER AT U.P.-UTTARAKHAND BORDER" APPEARING IN THE HINDUSTAN TIMES DATED 26.09.2024

AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 27.09.2024 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

I, Ashutosh Chauhan, aged about 44 years, posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Moradabad Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the present response is being filed before this Hon'ble Tribunal in compliance of the directions passed by this Hon'ble Tribunal vide order dated 27.09.2024. The relevant portion of the order dated 27-09-2024 is reproduced as under:

"*.....7. The power of the Tribunal to take up the matter suo-motu has been recognized by the Hon'ble Supreme Court in the matter of "Municipal Corporation of Greater Mumbai vs. Ankita Sinha & Ors." reported in 2021 SCC Online SC 897.*

8. Hence, we implead following as respondents in this matter:

Notary Public Shiv Kumar Guatam Notary/Advocate Reg. No. 9493 Moradabad Govt. of India

(i) Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Building No. TC-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

(ii) Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board (UKSPCB), Gaura Devi Paryavaran Bhawan, 46 B IT Park Sahastradhara Road, Dehradun, Uttarakhand

(iii) Member Secretary, Central Pollution Control Board (CPCB), Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032

(iv) Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Regional Office), Integrated Regional Office, Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector "H", Aliganj, Lucknow – 226020

(v) District Magistrate (DM) Moradabad, District Magistrate Office, Collectorate, Moradabad-244001, Uttar Pradesh

(vi) District Magistrate (DM) Udham Singh Nagar, Collectorate Compound, Rudrapur Udham Singh Nagar, Uttarakhand

9. Issue notices to the above respondents for filing their response/reply by way of affidavit at least one week before the next date of hearing through e-filing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal……"

Notary Public
Shiv Kumar Gautam
Notary/Advocate
Reg. No. 9493
Moradabad
Govt.

2. That in compliance to the directions passed by Hon'ble NGT officials of Regional Office, UPPCB, Moradabad has conducted inspection of Village-Adampur, Block Dilari, Thana-Bhojpur, Dist-Moradabad which is in the catchment area of river Dhela on 11-11-2024. The above inspection was done in the presence of Mr. Praveen Kumar, Sub-Inspector of Police, Thana Bhojpur, Moradabad. The copy of Report dated 11-11-2024 is annexed herewith as **Annexure No. 1.**

3. That during inspection the mining of soil/sand was not going on and Mr. Praveen Kumar, Sub-Inspector of Police, Thana Bhojpur, Moradabad informed that an information regarding illegal sand mining near the above mentioned area was received in the Police Station and based on that Joint Magistrate/SDM, Tehsildar, Revenue Team of District Moradabad and Local Police tried to stop the process of mining but the opposite sand miners ran away from the place. On the spot the Arjun Tractor Hedra and Tractor Trolley of the minors has been submitted in the Police Station, Bhojpur, Moradabad.
4. That Mr. Sarvesh Kumar, Lekhpal, Tehsil, Sadar, Moradabad has filed an FIR No. 0406 dated 23-09-2024 on 7-8 unknown persons and vehicle (Tractor) U.P.-21 DB 8850 (Driver unknown) and U.P. – 21 AV 7772 (Driver unknown) and also based on the FIR a case has been filed in the court of CGM –First, Moradabad.
5. That under section 191(2), 109(1), 132, 324(5), BNS and 21(4) a case has been filed vide case No. 406/2024 Naimudeen, son of Anees Ahmad, Muimuddeen, son of Anees Ahmad, Village – Sihali, Khaddar, Thana- Dilari, Dist-Moradabad vs. Govt. of U.P. in the session court, Moradabad.
6. That UPPCB has not issued Consent to Establish/Consent to Operate for mining in Village-Adampur, Block Dilari, Thana-Bhojpur, Dist-Moradabad.
7. That UPPCB vide letter dated 28-11-2024 has issued letter to District Mining Officer, Moradabad to inform the name of persons/organizations who are carrying out mining process in the Village-Adampur, Block Dilari, Thana-Bhojpur, Dist-Moradabad. Mining Officer, Moradabad vide letter no. 456/Khanij/2024 dated 03-12-2024 has informed that there is no mining is carried out in

the above mentioned area in the bank of river Dhela in Moradabad and mining Department has not made any mining area for mining over there. Further Mining Officer, Moradabad has informed that the Local Villagers are taking soil for private work time to time. Copy of letter dated 03-12-2024 of Mining Officer, Moradabad is annexed as **Annexure No.-2.**

Notary Public Govt. of India Shiv Kumar Gautam Notary/Advocate Regd. No. 9493 Moradabad

DEPONENT

VERIFICATION:-

Verified at Moradabad on this .13..... day of .01..........., 2025 that the contents of the above Affidavit are true and correct to the best of my knowledge and based on the official records of the Respondent. No part of it is false and nothing material has been concealed there from.

DEPONENT

Solemnly affirmed before me by Sri/Smt./Km. Ashutosh Chauhan deponent who is identified by Sri/Smt/Km............ Clrek of Sri/Smt./Km....... ....Advocate on 13/01/2025

I have satisfied my self after examining the deponent That he/she under stood the contents of the affidavit and the same has been read over & explained by me.

Revd. Rs . . . as fees

Shiv Kumar Gautam 13/01/2025
Notary/Advocate
Regd. No. 9493
Moradabad

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद
ई–मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591–2972012

पत्र संख्या : 1365 / N-13/1193/24/श्री अरुण कुमार/ सी/ जारा दिनांक : 16 / 11 / 2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0 ए0 सं0 1193/2024 News Item titled "Illegal miners attempt to run over trainee IAS Officer at U.P., Uttarakhand border" appearing in the Hindustan Times dated 26-09-2024 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 18733/सी–7/विविध–699/2024 दिनांक 17.10.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित वाद 1193/2024 के अनुपालन में उक्त प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा स्थलीय निरीक्षण दिनांक 11.11.2024 को किया गया।

निरीक्षण आख्या संलग्नकर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

16/11/24

(आशुतोष चौहान)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित –

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. विधि अधिकारी–प्रथम, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में अपने स्तर से अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करना चाहेगे।

क्षेत्रीय अधिकारी

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं0 1193/2024 News Item titled "Illegal miners attempt to run over trainee IAS Officer at U.P., Uttarakhand border" appearing in the Hindustan Times dated 26-09-2024 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2024 के अनुपालन के संबंध में आख्या–

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 18733/सी–7/विविध–699/2024 दिनांक 17.10.2024 के क्रम में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण दिनांक 11.11.2024 को श्री प्रवीन कुमार, उपनिरीक्षक, थाना भोजपुर, मुरादाबाद की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है –

1. निरीक्षण के दौरान श्री प्रवीन कुमार, उपनिरीक्षक, थाना भोजपुर, मुरादाबाद द्वारा अवगत कराया कि प्रश्नगत स्थल ग्राम आदमपुर, ब्लॉक डिलारी, थाना भोजपुर, जनपद मुरादाबाद में ढेला नदी के कैचमेंट एरिया अक्षांश–28.96694, देशान्तर–78.81243 पर स्थित है। निरीक्षण के समय उक्त स्थल से मृदा/बालू का खनन होता हुआ नही पाया गया।
2. अग्रेतर तत्संबंध में थाना भोजपुर, मुरादाबाद के उप निरीक्षक श्री प्रवीन कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि ढेला नदी के समीप कुछ व्यक्तियों द्वारा नदी से अवैध बालू खनन किये जाने के विरूद्ध सूचना प्राप्त होने के उपरान्त ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, राजस्व टीम, तहसील व जनपद मुरादाबाद एवं स्थानीय पुलिस द्वारा खनन रोकने का प्रयास किया गया, किन्तु विपक्षीयों द्वारा अर्जुन ट्रेक्टर हैड्रा एवं ट्रेक्टर ट्रॉली छोड़कर उक्त स्थान से पलायन किये जाने के पश्चात उक्त वाहनों को थाना भोजपुर, मुरादाबाद की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया एवं श्री सर्वेश कुमार, लेखपाल, तहसील सदर, मुरादाबाद द्वारा तहरीर के माध्यम से थाना भोजपुर, मुरादाबाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 0406 दिनांक 23.09.2024 द्वारा 07–08 अज्ञात व्यक्तियों एवं वाहन (ट्रेक्टर) सं0 यू0पी0 21 डी0बी0 8850 (चालक अज्ञात) एवं यू0पी0 21 ए0वी0 7772 (चालक अज्ञात) के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया (एफ.आई. आर. की छायाप्रति संलग्न)। अग्रेतर पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर मा0 न्यायालय, सी0जी0एम0–प्रथम, मुरादाबाद में वाद विचाराधीन है।
3. प्रश्नगत प्रकरण में न्यायालय सत्र न्यायालय, मुरादाबाद में नईमुद्दीन पुत्र अनीस अहमद, मुईमुद्दीन पुत्र अनीस अहमद निवासी ग्राम सिहाली खद्दर, थाना डिलारी, जनपद मुरादाबाद बनाम उ0प्र0 राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), मुरादाबाद में मु0 अपराध संख्या–406/2024 धारा–191 (2), 109 (1), 132, 324 (5), बी0एन0एस0 व 21 (4) खान एवं खनिज अधि0, थाना भोजपुर, जिला मुरादाबाद में वाद विचाराधीन (छायाप्रति संलग्न) है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार ग्राम आदमपुर, ब्लॉक डिलारी, थाना भोजपुर, जनपद मुरादाबाद में ढेला नदी के किनारे मृदा/बालू खनन हेतु जल एवं वायु सहमति प्रदान नही की गयी है।
5. उक्त प्रश्नगत प्रकरण में खनन के संबंध में कृत कार्यवाही का विवरण/अभिलेख प्रस्तुत किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1339/एन–13/1193/24/जनरल दिनांक 12.11.2024 के माध्यम से जिला खान अधिकारी, मुरादाबाद को पत्र प्रेषित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त प्रश्नगत प्रकरण मा0 न्यायालय, सी0जी0एम0–प्रथम, मुरादाबाद में विचाराधीन है आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

16.11.2024
(डॉ0 अतुल चौहान)
जे0 आर0 एफ0

16/11/24
(आकाश जोशी)
प्रयोगशाला सहायक

16-11-24
(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

सहा0पर्या0अभि0/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

16/11/2024 C.S 16/11/24

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District/Unit (जिला/इकाई):** मुरादाबाद
P.S. (थाना): भोजपुर **Year (वर्ष):** 2024
FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0406
Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 23/09/2024 23:58

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	191(2)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	~~131~~ 109(1)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	132
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	324(5)
5	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21(4)

3.(a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना) :**

1. **Day (दिन):** रविवार **Date From (दिनांक से):** 22/09/2024 **Date To (दिनांक तक):** 22/09/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 8 **Time From (समय से):** 22:00 बजे **Time To (समय तक):** 22:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 23/09/2024 **Time (समय):** 23:58 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 075 **Date & Time (दिनांक और समय):** 23/09/2024 23:58 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5.Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): उत्तर, 4 किमी **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): ढेला नदी पर थाना भोजपुर

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम): **District(State) (ज़िला (राज्य)):**

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) **Name (नाम):** श्री सर्वेश कुमार लेखपाल

(b) **Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1982

(d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

(e) **UID No. (यूआईडी सं॰):**

(f) **Passport No.(पासपोर्ट सं॰):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)**

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	क्षेत्र भोजपुर -धर्मपुर ,तहसील सदर ,मुरादाबाद,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	क्षेत्र भोजपुर -धर्मपुर ,तहसील सदर ,मुरादाबाद,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) **Occupation (व्यवसाय):**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):**

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9410065999

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	07-08 अज्ञात व्यक्ति			1. अज्ञात ,मुरादाबाद,उत्तर प्रदेश, भारत
2	ट्रैक्टर नं यूपी 21-डीबी-8850 चालक अज्ञात			1. अज्ञात ,मुरादाबाद,उत्तर प्रदेश, भारत
3	ट्रैक्टर नं यूपी 21-एवी-7772 चालक अज्ञात			1. अज्ञात ,मुरादाबाद,उत्तर प्रदेश, भारत

8.Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9.Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर --- सेवा में,श्रीमान थानाध्यक्ष भोजपुर, मुरादाबाद।महोदय,निवेदन इस प्रकार है कि दिनांक 22.09.2024 रात्रि लगभ 10:00 बजे मोबाइल पर सूचना प्राप्त हुई कि ढेला नदी के पास कुछ लोग नदी से अवैध बालू (खनन) कर रहे है सूचना प्राप्त होने पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट / उपजिलाधिकारी महोदय एवं तहसीलदार महोदय व राजस्व टीम / पुलिस बल की उपस्थिति में टीम खनन करने वाले स्थान की तरफ बढ रही थी मौके पर 02 ट्रैक्टर ट्राली खनन कर रहे थे। टीम ने मौके पर खनन रोकने का प्रयास किया तभी अर्जुन ट्रैक्टर हेड़ा चला रहे 03 व्यक्तियों के द्वारा टीम पर गन्ना तोडते हुये चढाने का प्रयास किया तभी पेड़ो व गन्ने की फसल नष्ट करते हुये अर्जुन ट्रैक्टर हेड़ा फस गया। दूसरी टीम द्वारा दुसरे ट्रैक्टर ट्राली को रोकने का प्रयास किया वह भी टीम पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास करते हुये भाग गये। लेकिन गन्ने की फसल एवं पेड़ो मे ट्रैक्टर ट्राली फस गया। उसके बाद 07-08 अज्ञात व्यक्ति अर्जुन ट्रैक्टर हेड़ा व 02 ट्रैक्टर ट्राली छोड़कर भाग गये। जिसके पश्चात राजस्व टीम / पुलिस ने ट्रैक्टर व हेड़ा दोनों को नियंत्रण मे लेकर थाना भोजपुर के सुपुर्द कर

दिया। अतः महोदय से निवेदन है कि 07-08 अज्ञात व्यक्ति ट्रैक्टर नं यूपी 21-डीबी-8850 व ट्रैक्टर नं यूपी 21-एवी-7772, के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर, कार्यवाही करने की कृपा करें।सर्वेश कुमार (लेखपाल) क्षेत्र- भोजपुर धर्मपुर तहसील सदर मुरादाबाद मो0न0-9410065999नोटः- मै का0484 सोहित कुमार प्रमाणित करता हूँ कि उक्त तहरीर व तहरीर के आधार पर कायमी मेरे द्वारा शब्द व शब्द बोल बोलकर कम्प्यूटर पर हे0का0 282 विपिन कुमार से टंकन कराकर फीड करायी गयी ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. **2** में उल्लेख धारा के तहत है |)

(1) **Registered the case and took up the investigation:** (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): **or** (या)

(2) **Directed (Name of I.O.)** (जांच अधिकारी का नाम): PRAVEEN KUMAR **Rank** (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 0162535134 **to take up the Investigation** (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) **or** (या)

(3) **Refused investigation due to** (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) **Transferred to P.S.** (थाना): **District** (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name THANA BHOJPUR

Rank SI (Sub-Inspector)

No. 9454404033

169

UPMO010081412024

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–3568/2024

1. नईमुद्दीन पुत्र अनीस अहमद,
2. मुईनुद्दीन पुत्र अनीस अहमद,

समस्त निवासीगण ग्राम सिहाली खद्दर, थाना डिलारी, जिला मुरादाबाद।

...................आवेदकगण / अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), मुरादाबाद।

......................अभियोजन पक्ष।

मु0 अपराध संख्या–406 / 2024
धारा–191 (2), 109(1), 132, 324(5), बी0 एन0एस0 व 21 (4) खान एवं खनिज अधि0
थाना–भोजपुर, जिला मुरादाबाद।

14–10–2024

1. आवेदकगण / अभियुक्तगण नईमुद्दीन व मुईनुद्दीन, जो मुकदमा अपराध संख्या–406 / 2024, अन्तर्गत धारा–191 (2), 109(1), 132, 324(5), बी0 एन0 एस0 व 21 (4) खान एवं खनिज अधि0, थाना भोजपुर, जिला मुरादाबाद के सम्बन्ध में अभिरक्षा में है, की ओर से उन्हें जमानत पर रिहा किये जाने हेतु यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार, वादी मुकदमा सर्वेश कुमार, लेखपाल, क्षेत्र भोजपुर, द्वारा थाना भोजपुर, मुरादाबाद पर प्राथमिकी इस आशय की पंजीकृत करायी गयी कि, दिनांक 22.09.2024 की रात्रि लगभग 10.00 बजे मोबाइल पर सूचना प्राप्त हुयी कि ढेला नदी के पास कुछ लोग नदी से अवैध बालू खनन कर रहे हैं। सूचना प्राप्त होने पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट / उपजिलाधिकारी व तहसीलदार व राजस्व टीम व पुलिस बल की उपस्थिति में टीम खनन करने वाले स्थान की तरफ बढ रही थी कि मौके पर 02 ट्रेक्टर–ट्राली खनन कर रहे थे, टीम ने मौके पर खनने रोकने का प्रयास किया, तभी अर्जुन ट्रेक्टर हैड्रा चला रहे तीन

व्यक्तियों के द्वा टीम पर गन्ना तोडते हुए चढाने का प्रयास किया, तभी पेडों व गन्ने की फसल नष्ट करते हुए अुर्जन ट्रेक्टर हैड्रा फंस गया। दूसरी टीम द्वारा दूसरे ट्रेक्टर को रोकने का प्रयास किया, वह भी टीम पर ट्रेक्टर चढाने का प्रयास करते हुए भाग गये, लेकिन गन्ने की फसल एवं पेडों में ट्रेक्टर ट्राली फंस गया। इसके बाद 07-08 अज्ञात व्यक्ति अर्जुन ट्रेक्टर हैड्रा व 02 ट्रेक्टर ट्राली छोडकर भाग गये, जिसके पश्चात राजस्व टीम/पुलिस ने ट्रेक्टर व हैड्रा दोनों को नियंत्रण में लेकर थाना भोजपुर के सुपुर्द कर दिया।

3. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि, प्रार्थीगण निर्दोष हैं, उन्हें रंजिशन झूठा फंसाया गया है। उन्होंने जान से मारने की नियत से कोई ट्रेक्टर किसी के ऊपर नहीं चढाया है। उक्त वाद की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा खनन रोकने वाली टीम पर ट्रेक्टर चढाने के प्रयास का आरोप लगाया गया है। खनन टीम के किसी भी सदस्य को कोई चोट आना नहीं बताया गया है। दौरान विवेचना मनमाने तरीके से धारा 109 (1) बी0एन0एस0 की बृद्धि की गयी है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थीगण को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस प्रकार आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का पुरजोर विरोध किया गया है।

5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा सम्बन्धित प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया गया।

6. आवेदकगण/अभियुक्तगण पर आरोप है कि, उन्होंने अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर खनन रोकने गयी राजस्व टीम/पुलिस बल को जान से मारने की नियत से उनके ऊपर ट्रेक्टर चढाने का प्रयास किया। आवेदकगण/अभियुक्तगण पर अवैध खनन किये जाने का भी आरोप है। प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा द्व ारा अज्ञात ट्रेक्टर चालक 07-08 व्यक्तियों के विरूद्ध पंजीकृत करायी गयी है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा वादी मुकदमा के मजीद बयान के आधार पर प्रकरण में धारा-109 (1) बी0एन0एस0 की बृद्धि की गयी है, जबकि पत्रावली पर किसी भी टीम के किसी सदस्य के कोई चोट आना अथवा चोटों की कोई चिकित्सीय परीक्षण आख्या केस डायरी पर उपलब्ध

नहीं है। स्वयं वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अपने बयान में खनन रोकने गयी टीम पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ट्रेक्टर चढाने का प्रयास किये जाने का कथन किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण दिनांक 04.10.2024 से जिला कारागार में निरूद्ध हैं। अभियोजन की ओर से आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना यह न्यायालय आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार पाता है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण नईमुद्दीन व मुईनुद्दीन का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा 1,00,000/– रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा इसी धनराशि के दो विश्वसनीय जमानती, सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे

1– आवेदकगण/अभियुक्तगण जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेंगे।

2– आवेदकगण/अभियुक्तगण के आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाण–पत्र की सत्यप्रति दाखिल की जावेगी।

3– आवेदकगण/अभियुक्तगण जमानत पर रिहा होने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–313 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगे तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व दं0प्र0संहिता की धारा–313 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगे तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगे और उनके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उसके विरूद्ध धारा–229ए भा0दं0संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

4– आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेंगे।

5— आवेदकगण/अभियुक्तगण के जमानत प्रपत्र स्वीकृत किए जाने से पूर्व उसके नाम, वल्दियत एवं पते के सम्बन्ध में सम्बन्धित न्यायालय तस्दीक कराया जाना सुनिश्चित करेगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर सक्षम न्यायालय, आवेदकगण/अभियुक्तगण की जमानत निरस्त किये जाने हेतु स्वतन्त्र होगा।

दिनांकः 14—10—2024

(मनीष कुमार—I)
कृते सत्र न्यायाधीश/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0—07,
मुरादाबाद।
आई डी0नम्बर—UP06408

UPMO040541972024

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।

जमानत प्रार्थना पत्र सं0-4171/2024

04.10.2024

यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण नईमुददीन व मोइनुददीन की ओर से मु0 अ0 सं0-406/2024 अन्तर्गत धारा- 191(2), 109(1), 132, 324(5) बी0 एन0 एस0 व 21/4 खान खनिज अधिनियम, थाना-भोजपुर, जिला मुरादाबाद के मामलें में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण जिला कारागार में निरूद्ध हैं।

अभियुक्तगण द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि उक्त वाद में प्रार्थीगण को रंजिशन झूठा फंसाया गया है। उक्त वाद की घटना व एफ0 आई0 आर0 फर्जी तथा मनगढंत है। उक्त वाद के प्रार्थीगण के विरूद्ध नामजद एफ0 आई0 आर0 नहीं है। उक्त वाद में प्रार्थीगण का नाम विवेचना में प्रकाश में आया है। उक्त वाद में प्रार्थीगण निर्दोष हैं। अतः प्रार्थीगण को दौराने विचारण जमानत पर रिहा किया जाये।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण की जमानत का प्रबल विरोध किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण का अपराध अजमानतीय, गंभीर प्रकृति का व माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः मामलें के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण की आधार जमानत पर्याप्त नहीं है। न्यायालय की राय में अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण नईमुददीन व मोइनुददीन की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र मु0 अ0 सं0- 406/2024 अन्तर्गत धारा- 191(2), 109(1), 132, 324(5) बी0 एन0 एस0 व 21/4 खान खनिज अधिनियम, थाना-भोजपुर, जिला मुरादाबाद निरस्त किया जाता है।

प्र0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मुरादाबाद।

Annexure 02

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद
ई–मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591–2972012

पत्र संख्या : 1339 / N-13 / 1193 / जनरल दिनांक : 12 / 11 / 2024

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,
जनपद मुरादाबाद।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0 ए0 सं0 1193/2024 News Item titled "Illegal miners attempt to run over trainee IAS Officer at U.P., Uttarakhand border" appearing in the Hindustan Times dated 26-09-2024 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0 ए0 सं0 1193/2024 News Item titled "Illegal miners attempt to run over trainee IAS Officer at U.P., Uttarakhand border" appearing in the Hindustan Times dated 26-09-2024 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रश्नगत प्रकरण ग्राम आदमपुर, ब्लॉक डिलारी, थाना भोजपुर, जनपद मुरादाबाद में ढेला नदी के कैचमेंट एरिया पर मृदा/बालू खनन किये जाने के संबंध में है।

अतः उक्त के संबंध में आप द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण/अभिलेख इस कार्यालय को यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का कष्ट करें, जिससे कि कृत कार्यवाही की आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करते हुए मा0 अधिकरण के समक्ष ससमय प्रस्तुत की जा सके।

भवदीय

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष चौहान)
क्षेत्रीय अधिकारी

ए.ई.ई.

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित –

1. विधि अधिकारी–प्रथम, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

ए.ई.ई.

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1—ए / आई.एन.एस.—1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद
ई—मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591—2972012

पत्र संख्याः 1471 / एन—13 / 1193 / जनरल दिनांक 5 .12.2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त—7),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0 1193 / 2024 News Item titled " Illegal miner attempt to run over trainee IAS Officer at U.P., Uttarakhand border" appearing in The Hindustan Times में पारित आदेश दिनांक 27.09.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 20206 / सी—7 / विविध—699 / 24 दिनांक 27.11.2024 का संदर्भ ग्रहण करनें का कष्ट करें। तत्क्रम में अवगत कराना है कि उक्त के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 1431 / एन—13 / 1193 / 24 / जनरल दिनांक 28.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से जिला खान अधिकारी, जनपद मुरादाबाद को प्रश्नगत माईनिंग में सलग्न व्यक्ति / संस्था का नाम, पता, तहसील, थाना तथा माईनिंग का प्रकार स्पष्ट करने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में जिला खान अधिकारी, जनपद मुरादाबाद के पत्रांक 456 / खनिज / 2024 दिनांक 03.12.2024 के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवयक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

संलग्नकः यथोपरि।

कृते क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः विधि अधिकारी—प्रथम, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

कृते क्षेत्रीय अधिकारी

AEE Cross2024 New

कार्यालय जिलाधिकारी, मुरादाबाद।
(खनन अनुभाग)

दिनांक 03/12/2024

पत्रांक 456/खनिज/2024

सेवा मे,

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0सं0–1193/2024 News item titled "illegal miners attempt to run over trainee IAS officer at U.P.-Uttarakhand border" appearing in the Hindustan Times में पारित आदेश दिनांक 27.09.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृप्या अपने पत्र सं0–1431/एन–13/1193/24/जनरल दिनांक 28.11.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मुख्यालय के पत्र सं0–20206/सी–7/विविध–699/24 दिनांक 27.011.2024 के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0सं0–1193/2024 News item titled "illegal miners attempt to run over trainee IAS officer at U.P.-Uttarakhand border" appearing in the Hindustan Times में पारित आदेश दिनांक 27.09.2024 के अनुपालन में ग्राम आदमपुर ब्लॉक डिलारी थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद में ढेला नदी के किनारे प्रश्नगत स्थल पर माइनिंग की प्रक्रिया हो रही है अथवा नही प्रश्नगत माईनिंग की प्रकिया यदि हो रही है तो प्रश्नगत माइनिंग में संलग्न व्यक्ति/संस्था का नाम, पता, तहसील, थाना तथा माइनिंग का प्रकार स्पष्ट करने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त संबंध में अवगत कराना है कि ग्राम आदमपुर, ब्लॉक डिलारी थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद में ढेला नदी के किनारे प्रश्नगत स्थल पर खनन विभाग द्वारा खनन हेतु कोई खण्ड नही बनाया गया है एवं उक्त स्थल पर अभी माइनिग की प्रकिया नही हो रही है। ग्रामीणों द्वारा पूछे जाने पर बनाया गया कि उपरोक्त स्थल पर नियमित रूप से खनन नही होता है एवं सम्य–समय पर ग्रामीण द्वारा आपने निजी कार्य हेतु सा0 मिट्टी प्रयोग में ले लिया जाता है।

03.12.24
खान अधिकारी
मुरादाबाद।

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद
ई–मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591–2972012

पत्र संख्या : 1431 / N-13/ 1193/24/ जनरल दिनांक 28/11/2024

अति महत्वपूर्ण/मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,
जनपद मुरादाबाद।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0 ए0 सं0 1193/2024 News Item titled "Illegal miners attempt to run over trainee IAS Officer at U.P., Uttarakhand border" appearing in the Hindustan Times में पारित आदेश दिनांक 27.09.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक एच 20206/सी–7/विविध–699/24 दिनांक 27.11.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0 ए0 सं0 1193/2024 News Item titled "Illegal miners attempt to run over trainee IAS Officer at U.P., Uttarakhand border" appearing in the Hindustan Times में पारित आदेश दिनांक 27.09.2024 के अनुपालन में ग्राम आदमपुर, ब्लॉक डिलारी, थाना भोजपुर, जनपद मुरादाबाद में ढेला नदी के किनारे प्रश्नगत स्थल पर माइनिंग की प्रकिया हो रही है अथवा नहीं। प्रश्नगत माइनिंग की प्रक्रिया यदि हो रही है तो प्रश्नगत माइनिंग में संलग्न व्यक्ति/संस्था का नाम, पता, तहसील, थाना तथा माइनिंग का प्रकार स्पष्ट करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि पत्र में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में वांछित सूचना इस कार्यालय को 02 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करते हुए मा0 अधिकरण के समक्ष ससमय प्रस्तुत की जा सके।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय
28/11/24
(आशुतोष चौहान)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि –

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को पत्रांक एच 20206/सी–7/विविध–699/24 दिनांक 27.11.2024 के अनुकम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. विधि अधिकारी–प्रथम, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

28/11/24
क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ संख्या H22640/C-7/निदेश-699/2025 दिनांक 13.01.25

महत्वपूर्ण/मा0 एनजीटी प्रकरण

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मुरादाबाद।

विषयः—माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0—1193/2024 News Item titled "Illegal miners attempt to run over trainee IAS Officer at U.P., Uttarakhan Border" appearing in the Hindustan Times dated 26-09-2024 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0—1193/2024 News Item titled "Illegal miners attempt to run over trainee IAS Officer at U.P., Uttarakhan Border" appearing in the Hindustan Times dated 26-09-2024 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2024 के अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से दायर किये जाने वाले रिस्पान्स/रिप्लाई की सक्षम अधिकारी से अनुमोदित प्रति संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि बोर्ड अधिवक्ता श्री अरविन्द कुमार (मो0 नं0—9868001254) के माध्यम से रिस्पान्स/रिप्लाई माननीय अधिकरण को प्रेषित कराते हुए बोर्ड मुख्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः—ई—मेल द्वारा ।

भवदीय

(राम गोपाल)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त—7

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
ई—मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com